प्रीपेड भुगतान साधन

प्रलिम्सि के लयि:

प्रीपेड भुगतान साधन/प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, भारतीय रज़िर्व बैंक, DICGC, प्रेषण, इंश्योरेंस फंड, रेगुलेटेड एंटिटीज़

मेन्स के लयि:

प्रीपेड भुगतान उपकरणों के लयि DICGC का कवरेज

चर्चा में क्यों?

RBI (भारतीय रज़िर्व बैंक) वनियिमति संस्थाओं के लयि ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने वाली एक समतिनि **धोखाधड़ी और अनधकृित लेन-देन से सुरक्षा प्रदान करने** के लयि **जमा बीमा और क्रेडटि गारंटी नगिम** (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) को प्रीपेड पेमेंट इंसट्रूमेंट (PPI) तक वसि्तारति करने की सफि़ारशि की है।

- इस समतिनि ने सफिारशि की है कि RBI को **बैंक PPI** और फरि **गैर-बैंक PPI** सहति PPI क्षेत्र में DICGC कवर का वसि्तार करने की संभावना के बारे में पता लगाना चाहयि।
- RBI को **ग्राहक सेवा में सुधार करने और समग्र ग्राहक सुरक्षा प्रयासों को मज़बूत करने के लयि** वनियिमति संस्थाओं को प्रोत्साहति करना चाहयि।

प्रीपेड भुगतान साधन:

- **परचिय:**
  - ये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुवधिा प्रदान करने वाले साधन हैं, ये वत्तिीय सेवाओं का संचालन करते हैं और **उनमें संग्रहीत धन पर प्रेषण सुवधिाएँ सक्षम करते हैं**।
  - PPI को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी कयिा जा सकता है।
  - **PPI दो प्रकार के होते हैं:**
    - छोटे PPI और पूर्ण-KYC (अपने ग्राहक को जानें) PPI। इसके अलावा छोटे PPI को 10,000 रुपए तक के PPI (कैश लोडगि सुवधिा के साथ) तथा 10,000 रुपए तक के PPI (बनिा कैश लोडगि सुवधिा के) के रूप में वर्गीकृत कयिा गया है।
  - PPI को नकद, बैंक खाते से **डेबटि या क्रेडटि और डेबटि कार्ड द्वारा लोड/रीलोड कयिा जा सकता है।**
    - **PPI की कैश लोडगि प्रतमिाह 50,000 रुपए तक सीमति है,** जो PPI की समग्र सीमा के अधीन है।
- **जारी करना/नर्गिमन:**
  - PPI को RBI से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद **बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी कयिा जा सकता है।**
    - नवंबर 2022 तक 58 से अधकि बैंकों को प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालति करने की अनुमतदिी गई है।
    - **मई 2023 तक 33 गैर-बैंक PPI जारीकर्त्ता हैं।**

DICGC:

- **परचिय:**
  - DICGC, **RBI की पूर्ण स्वामत्वि वाली सहायक कंपनी है** और जमा बीमा सुवधिा प्रदान करती है।
    - जमा बीमा प्रणाली **वत्तिीय प्रणाली की स्थरिता को बनाए रखने में वशिेष रूप से छोटे जमाकर्त्ताओं को बैंक की वफिलता** की स्थतिमिें उनकी जमा राशकिी सुरक्षा का आश्वासन देकर महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिाती है।
  - DICGC द्वारा वसि्तारति जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (LAB), भुगतान बैंक (PB), लघु वत्ति बैंक (SFB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और सहकारी बैंक सहति वे सभी वाणज्यिकि बैंक शामलि हैं, जन्हिें RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।
- **कवरेज:**

- DICGC अर्जित ब्याज सहित बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जैसी सभी जमाओं का बीमा करता है।
- बैंक में प्रत्येक **जमाकर्त्ता का बैंक के परिसमापन या विफलता की तिथि** के अनुसार मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिये अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है।
  - **DICGC द्वारा प्रदान किया गया पहले का बीमा कवर 1 लाख** रुपए था। हालाँकि बीमाकृत बैंकों में जमाकर्त्ताओं के लिये बीमा कवर की सीमा 2020 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी।
- **DICGC कवर नहीं करता है:**
  - विदेशी सरकारों की जमाराशि।
  - केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
  - अंतर-बैंक जमाराशि।
  - राज्य सहकारी बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ।
  - भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा के कारण कोई भी राशि।
  - कोई भी राशि जिसे RBI के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है।

- **कोष:**
  - निगम निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है:
    - **जमा बीमा कोष**
    - **क्रेडिट गारंटी फंड**
    - **सामान्य कोष**
  - पहले दो को क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा संबंधित दावों के निपटान के लिये भी उपयोग किया जाता है।
  - सामान्य कोष का उपयोग निगम की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने हेतु किया जाता है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prepaid-payment-instrument